संख्या : 08/2018 / 1210/43-1-2018-28(13)/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार,
उप सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
राज्य सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पत्रांक 448/उ0प्र0सू0आ0/ नजारत/62/2018 दिनांक 13.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग हेतु मोटर गाड़ियों का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- लाख (रू0 पचास लाख मात्र) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में निष्प्रयोज्य 02 वाहनों के प्रतिस्थापन के अन्तर्गत 02 मारूति सियाज़ डेल्टा (पी) क्रय किये जाने हेतु रू0 15,64,559/- मात्र (रू0 पन्द्रह लाख चौसठ हज़ार पाँच सौ उनसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराषि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा क्रय किए जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं GeM दर एवं GeM दरों की वैधता अपने स्तर से सुनिश्चित कर ली जाएगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा निष्प्रयोज्य वाहन को संचालन में नहीं लाया जायेगा।

5- केन्द्रीय सहायता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 02.09.2008 के अनुसार वाहन के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोश में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्याः ई-9-727 /दस-2018 दिनांक 09 अक्टूबर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

क्रमशः--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ।
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।